बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–75 विवादित आराजी प्रार्थीगण एंवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में उभय पक्ष के द्वारा आराजी के विशिष्ट हिस्से पर अपना–अपना हक जताया जा रहा है। विभाजन से पूर्व आराजी के प्रत्येक इंच पर सभी पक्षकारान का हक है। उभय पक्ष के हित का निर्धारण भविष्य में मूल दावा में तनकी एवं साक्ष्य के आधार पर होगा। अगर अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का बेचान या निर्माण कर दिया जावेगा। जिससे वाद बहुलता बढेगी। इसलिए प्रार्थीगण के हितों की रक्षा एवं वाद बहुलता कम करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में उभय पक्ष के द्वारा आराजी के विशिष्ट हिस्से पर अपना–अपना हक जताया जा रहा है। अगर अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो असुविधा भी प्रार्थीगण को होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में निहीत है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर(दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 89/22

1. टीकमचन्द पुत्र लक्ष्मणराम
2. रामसिंह पुत्र लक्ष्मणराम
3. लक्ष्मणराम पुत्र पून्याराम

समस्त जातियान बैरवा निवासी गोपालगढ तहसील मण्डावर जिला दौसा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. माया पुत्री रामकिशोर पत्नि गोविन्द | जाति नाई निवासी गोपालगढ हाल
2. लक्ष्मी पुत्री रामकिशोर पत्नि रमेश | निवासी बेरखेडा तहसील महवा
3. पार्वती पुत्री रामकिशोर पत्नि ओमी जाति नाई निवासी गोपालगढ तहसील मण्डावर हाल निवासी मण्डावर हाल निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. उप पंजीयक मण्डावर तहसील मण्डावर
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री धर्मसिंह राजपूत वकील प्रार्थीगण

दिनांक :— 13/04/2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 1.00 है0 बांके ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी एवं काश्ताकारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 593/8580 भाग, प्रार्थी संख्या 2 का 593/8580 भाग, प्रार्थी संख्या 3 का 1/33, अप्रार्थी संख्या 1 का 617/34320 भाग, अप्रार्थी संख्या 2 का 617/34320 भाग, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/60 भाग, एवं दावा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/32 भाग, प्रतिवादी संख्या 5 मूलचंद के पिता छुटटन पुत्र गरीबा का 1/16 भाग, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/24 भाग , प्रतिवादी

संख्या 7 का 1/20 + 3/104 भाग यानि 41/520 भाग, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/20 भाग, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/32 भाग, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के पिता ऊदा का 1/24 भाग, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/24 भाग, प्रतिवादी संख्या 13 का 1/20 भाग, प्रतिवादी संख्या 14 का 1/8 भाग, प्रतिवादी संख्या 15 का 1/20 भाग, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/20 भाग , प्रतिवादी संख्या 17 का 1/8 तथा इसी हिस्सा अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी विवादित आराजी पर काबिज काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि के 0.17 है0 भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त भूमि में से 1/333 भाग को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.09.2004 को खरीद किया था। तथा उसी समय कब्जा प्राप्त कर बोरिंग व विद्युत कनेक्शन करवा लिया था। खातेदार नैमीचन्द से उसका हिस्सा 593/8580 भाग को प्रार्थी संख्या 1 द्वारा तथा रामप्रसाद से उसका हिस्सा 593/8580 भाग को प्रार्थी 2 द्वारा जरिये विक्रय पत्र खरीद कर लिया था। उक्त भूमि के पीछे बिल्कुल लगवा ही खातेदार नैमीचन्द व रामप्रसाद की शेष भूमि को बाद में सन 2022 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर लिया था। तथा उस पर भी कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिससे प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी में मण्डावर के पूर्व पश्चिम 100 मीटर तथा उत्तर दक्षिण 17 मीटर कुल 1700 वर्गमीटर भूमि पर मौके पर कब्जा मौजूद है। दिनांक 03.12.2022 को जब प्रार्थीगण अपने कब्जेशुदा आराजीयात पर थे। तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 आयी और बोली की आपके पास ज्यादा भूमि है। हमारे पास कम भूमि है। जिस पर हमने विधिवत विभाजन कर पैमाईश करवाने की बोली। लेकिन अप्रार्थीगण व दावा प्रतिवादीगण जिस पर किसी प्रकार से तैयार नही हुये। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण की कब्जेशुदा है उसको लटठ के बल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लिया या उक्त भूमि के अपने हिस्से का किसी व्यक्ति को रहन बय मुन्तकिल कर दिया तो हम सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। यदि अप्रार्थी अपने उक्त गैरकानूनी मनसूबों में कामयाव हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से होना संभव नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है। अतः अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की बावजूद तामिल अुनपस्थित रहे। इसलिये इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।